

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-102/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा लाडनूं		1. महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र किशोर सिंह राठौड पता-ग्राम एवं पोस्ट-छपरा, तहसील लाडनूं जिला-नागौर (राज.) 2. मांगी लाल शर्मा पुत्र बेग राज शर्मा पता-नियर पानी की टंकी, जसवंतगढ तहसील लाडनूं जिला नागौर 3. शिव दयाल सिंह पुत्र दल सिंह पता-ग्राम एवं पोस्ट-छपरा, तहसील लाडनूं जिला-नागौर (राज.)

आदेश

दिनांक: 11/10/2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 4,50,000/- (चार लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 20.02.2007 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - रहवासी मकान प्रोपर्टी 400 वर्ग यार्ड जो ग्राम एवं पोस्ट छप्परा, तहसील-लाडनूं, जिला नागौर, (राज.) में स्थित है जो कि श्री महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र किशोर सिंह राठौड के नाम से है। चतु सीमा : पूर्व- किशन सिंह, पश्चिम-किशोर सिंह, उत्तर-रोड, दक्षिण-किशोर सिंह जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.12.2014 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 4,67,923/- (अक्षरे रूपये चार लाख सडसठ हजार नो सौ तेइस मात्र) दिनांक 02.09.2015 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त, लागत इत्यादि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 03.09.2015 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 4,67,923/- (अक्षरे रूपये चार लाख सडसठ हजार नो सौ तेइस मात्र) दिनांक 02.09.2015 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त, लागत इत्यादि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 13 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति को ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिविल रिटिज एवं सिविल रिटिज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

म.  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राज.)



बैंक सिक्पोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- रहवासी मकान प्रोपर्टी 400 वर्ग यार्ड जो ग्राम एवं पोस्ट छप्परा, तहसील-लाडनूं, जिला नागौर, (राज.) में स्थित है जो कि श्री महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र किशोर सिंह राठौड के नाम से है। चतु सीमा : पूर्व- किशन सिंह, पश्चिम-किशोर सिंह, उत्तर-रोड, दक्षिण-किशोर सिंह जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 4,50,000/- (चार लाख पच्चास हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 20.02.2007 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - रहवासी मकान प्रोपर्टी 400 वर्ग यार्ड जो ग्राम एवं पोस्ट छप्परा, तहसील-लाडनूं, जिला नागौर, (राज.) में स्थित है जो कि श्री महेन्द्र सिंह राठौड पुत्र किशोर सिंह राठौड के नाम से है। चतु सीमा : पूर्व- किशन सिंह, पश्चिम-किशोर सिंह, उत्तर-रोड, दक्षिण-किशोर सिंह जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी बैंक को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।



(कमल प्राल गौतम)  
जिला मजिस्ट्रेट  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
नागौर